कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135 – 2442052

पत्रांकः– 1718 /12-1(2) दिनांक, मुनिकीरेती, 29/01 /2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर मु0–कीर्तिनगर।

विषय :– जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत नाण्डी–सैलसेण–मठूरगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.8225 हे0 के प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/11204/2015 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्र संख्या–2346/FP/UK/ROAD/11204/2015 दिनांक 08–01–2018।

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में भारत सरकार द्वारा कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/249/2015/एफ0सी0/1614 दिनांक 28–12–2017 में दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1- <u>शर्त संख्या–01 के</u> अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित परियोजना में 900 वृक्षों के वृक्षारोपण वसूली वर्ष 2017–18 हेतु @ 1000.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल मु0 09,00,000.00 की धनराशि जमा करनी होगी।

2- <u>शर्त संख्या–02.</u> एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.8225 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 06,95,013.00 धनराशि जमा करनी होगी।

3- <u>शर्त संख्या– 03</u>. के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4- <u>शर्त संख्या–04</u> के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

5- <u>बिन्दु संख्या–05</u> के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहॉ–जहॉ सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Cnetral Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा इस आशय का वचनवद्वता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6- <u>शर्त संख्या–06</u> के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मोटरमार्ग का डिजिटल मानचित्र भाग–01 के पैरा–सी0 में अपलोड कर मूल प्रति सहित चार प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

L.A.C
02/2/18